

# कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गरियाबंद (छ.ग.)

Phone – 07706-241268

Email ID- dti-gariaband.cg@gov.in

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित/ क्रियान्वित की जा रही हैं :-

अ- हितग्राही मूलक योजना

ब- औद्योगिक नीति के तहत संचालित योजनाएं

## अ- हितग्राही मूलक योजना

हितग्राही मूलक योजनान्तर्गत जिले में दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं -

### 1- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-

उद्देश्य - देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन ।

परियोजना लागत - विनिर्माण - अधिकतम 25.00 लाख  
सेवा - अधिकतम 10.00 लाख

स्वयं का अंशदान - सामान्य वर्ग - 10 प्रतिशत  
अजा/अजजा/अपिव0 व अन्य- 05 प्रतिशत

अनुदान की दर - सामान्य वर्ग - शहरी 15 प्रतिशत,  
ग्रामीण 25 प्रतिशत  
अजा/अजजा/अपिव0 व अन्य- शहरी 25 प्रतिशत  
ग्रामीण 35 प्रतिशत

पात्रता - आयु 18 वर्ष से अधिक, ।

उपलब्धियाँ -

### प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2014-15

क्र0	लक्ष्य (संख्या)	प्राप्त आवेदन	बैंको को प्रेषित	बैंको द्वारा स्वीकृत प्रकरण	वितरित प्रकरण
01	35	113	101	44	27

### 2- मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना वर्ष 2013-14 से प्रारंभ किया गया है । योजनान्तर्गत युवा बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता/ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

उद्देश्य - राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना

परियोजना लागत - विनिर्माण - अधिकतम 25.00 लाख

सेवा - अधिकतम 10.00 लाख

व्यवसाय - अधिकतम 10.00 लाख

अनुदान की दर	— अजा/अजजा	— 25 प्रतिशत
	अपिव0 व अन्य—	— 15 प्रतिशत
	सामान्य वर्ग	— 10 प्रतिशत,

पात्रता — आयु 18 से 35 वर्ष, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उतीर्ण ।  
उपलब्धियाँ —

### मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना वर्ष 2014-15

क्र0	लक्ष्य (संख्या)	प्राप्त आवेदन	बैंको को प्रेषित	बैंको द्वारा स्वीकृत प्रकरण	वितरित प्रकरण
01	07	26	17	08	06

### ब- औद्योगिक नीति के तहत संचालित योजनाए

औद्योगिक नीति के तहत उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाए प्रावधानित है । गरियाबंद जिला औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल है । जिले में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित योजनाए प्रारंभ है—

1- **ब्याज अनुदान** — उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान हितग्राही द्वारा भुगतान किये गये ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक पात्रतानुसार प्रदत् किये जाते है ।

2- **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान** — उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योगों को पात्रतानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाता है । जिसमें स्थापित इकाईयों में किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर पात्रतानुसार 30 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक अनुदान प्रदत् किये जाते है ।

3- **विद्युत भुल्क छूट** — उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क छूट पात्रतानुसार प्रदान किया जाता है ।

4- **स्टाम्प भुल्क छूट** — निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म लघु मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा व अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर के उद्योग सहित परिशिष्ट 04 के अनुसार) स्टाम्प शुल्क छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जाती है ।

अ- भूमि शेड तथा भवनों के क्रय निष्पादित विलेखों पर ।

ब- बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत बैंक ऋण से संबंधित विलेखों पर ।

5- **औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत** — पात्रतानुसार ।

**6-परियोजना प्रतिवेदन अनुदान-** राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति

**7- भूमि उपयोग में परिवर्तन-** निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु उद्योगों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिकतम 05 एकड़ भूमि के लिए डायवर्सन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी ।

**8- मार्जिन मनी अनुदान -** रूपये 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उप योजना/अनुसूचित जनजाति विशेष योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 40 लाख होगी ।

### 9- औद्योगिक पुरस्कार योजना -

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा ।

### 10- अन्य आर्थिक प्रोत्साहन -

- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) भू-आबंटन सेवा भुल्क
- गुणवत्ता प्रमाणिकरण अनुदान
- तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
- औद्योगिक पुरस्कार योजना
- प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान
- प्रवेश कर भुगतान से छूट
- विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान
- इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)

## कार्यालय द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों के प्राप्तिकर्ताओं का विवरण

### वर्ष 2014-15

क्र	योजना का नाम	लक्ष्य	प्राप्त बजट (रू. लाख में)	उपलब्धि
1	2	3	4	5
1	ब्याज अनुदान	निर्धारित नहीं	48.22	26 इकाईयों को ब्याज अनुदान 23.80 लाख रू0 का ब्याज अनुदान व्यय
2	स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी			
	अ. बैंक ऋण पर	निर्धारित नहीं	-	05 इकाईयों को बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये
	ब. भूमि क्रय पर	निर्धारित नहीं	-	03 इकाईयों को भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये

**वर्ष 2015-16**

क्र	योजना का नाम	लक्ष्य	प्राप्त बजट (रु. लाख में)	उपलब्धि
1	2	3	4	5
1	ब्याज अनुदान	निर्धारित नहीं	22.00	24 इकाईयों को ब्याज अनुदान राशि रूपये 09.92 लाख रु0 का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया ।
2	स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी			
	अ. बैंक ऋण पर	निर्धारित नहीं	-	01 इकाईयों को बैंक ऋण पर स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये
	ब. भूमि क्रय पर	निर्धारित नहीं	-	02 इकाईयों को भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये

**कार्यालय द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों के प्राप्तिकर्ताओं का विवरण वर्ष 2015-16**

**ब्याज अनुदान**

क्र.	इकाई का नाम व पता	स्वीकृत राशि (रूपये)
1	मे. श्रेया फर्शी उद्योग ग्राम बासीन, तह. राजिम	4,352.00
2	मे.छ.ग. स्टोन होन्ड एण्ड मिरर पॉलिस इंडस्ट्रीज ग्रा.बरभाठा, तह.राजिम	26,800.00
3	मे.दिशा स्टोन, ग्राम-बासीन, तह0-राजिम, जिला-गरियाबंद	1,81,446.00
4	मे0 न्यू साई ब्लैक स्टोन, ग्राम-बिनौरी, तह0 राजिम, जिला गरियाबंद	36,692.00
5	मे. एम.डी.वेयर हाउसिंग, ग्रा.-चौबेबांधा, तह.-राजिम, जिला गरियाबंद	81,537.00
6	मे. एम.डी.वेयर हाउसिंग, ग्रा.-चौबेबांधा, तह.-राजिम, जिला गरियाबंद	1,25,469.00
7	मे0 साई फर्शी उद्योग, ग्राम- बिनौरी, तह0 राजिम, जिला गरियाबंद	25,910.00
8	मेसर्स वर्षा स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम - बासीन, तह. राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.)	4,233.00
9	गायत्री इंडस्ट्रीज, ग्राम-बोरसी, तह0 राजिम,	1,24,910.00
10	मे. गायत्री फर्शी उद्योग ग्राम बासीन, तह. राजिम	37,827.00
11	मे0 पायल स्टोन, ग्राम-बासीन, तह0-राजिम, जि0 गरियाबंद	30,883.00
12	मेसर्स - हेमन्त स्टोन, ग्राम-बासीन, तह0 राजिम,	12,742.00
13	मे.दीपांशु स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बासीन, तह. राजिम,	2,619.00
14	मे. बुरहानी फर्शी उद्योग ग्राम बोरसी, तह. राजिम	11,960.00
15	मे. पारस फर्शी उद्योग ग्राम बोरसी, तह. राजिम	14,180.00
16	मेसर्स माँ अरुणा स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम बासीन, तह. राजिम, जिला गरियाबंद	19,883.00
17	मे. श्रीराम स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम - बासीन, तह. राजिम,	3,060.00

18	मे. बालाजी फर्शी उद्योग, ग्राम बासीन, तहसील राजिम	12,806.00
19	मे0 – डी0के0 कापी उद्योग, ग्राम-फिंगेश्वर रोड राजिम,	6,544.00
20	मे. शुक्ला पलाई ऐश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज ग्राम-रजकटठी, तह.राजिम, जि0-गरियाबंद	24,480.00
21	मे. शुक्ला पलाई ऐश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज ग्राम-रजकटठी, तह.राजिम, जि0-गरियाबंद	18,632.00
22	मेसर्स भारद्वाज फर्शी उद्योग फेस -01, ग्राम बरभाठा, तह. राजिम, जिला गरियाबंद	32,305.00
23	मेसर्स भारद्वाज फर्शी उद्योग फेस -02, ग्राम बरभाठा, तह. राजिम, जिला गरियाबंद	31,963.00

#### मांग संख्या-41 अंतर्गत ब्याज अनुदान

क्र.	इकाई का नाम व पता	स्वीकृत राशि (रूपये)
1	मे. तेजपाल सिंह कुकरेजा, वेयर हाउस, ग्रा.-डोंगरीगांव, तह.+जिला गरियाबंद	47,000.00
2	मे. निशार एग्री इंडस्ट्रीज, ग्राम- गरियाबंद, तह.+जिला गरियाबंद	74,162.00

#### छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान वर्ष 2014-15 अंतर्गत स्वीकृत राशि

क्र0	इकाई का नाम व पता	स्वीकृत राशि (रूपये)	रिमार्क
01	मेसर्स एम0डी0 वेयर हाऊसिंग, ग्राम-चौबेबांधा, तह0-राजिम, जिला गरियाबंद-	38,62,902.00	उद्योग संचालनालय- रायपुर से राशि आबंटित होने पर वितरण की कार्यवाही की जावेगी ।
02	मे0 मॉ अरूणा स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम- बासीन, तह0-राजिम, जिला गरियाबंद	6,50,695.00	
03	मे0 छ0ग0 स्टोन होण्ड एण्ड मिरर पॉलिस, ग्राम- बरभाठा, तह0-राजिम, जिला गरियाबंद	25,55,133.00	
04	मे0 गायत्री फर्शी उद्योग, ग्राम-बासीन, तह0-राजिम, जिला गरियाबंद	11,61,272.00	
05	मे0 गायत्री इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बोरसी, तह0-राजिम, जिला गरियाबंद	26,73,060.00	
06	मे0 तेजपाल सिंह कुकरेजा वेयर हाऊस, ग्राम-डोंगरीगांव, तह0+जिला गरियाबंद	18,56,400.00	

- **स्टाम्प भुल्क पर छूट :-** इकाईयों के नाम निम्नानुसार है :-

#### बैंक ऋण पर -

1. मे0 खुश इंडस्ट्रीज, ग्राम-बोरसी, तह0-राजिम,

#### भूमि कय पर-

1. मे0 शिवनाथ एग्रीक्चर प्रा0 लि0-ग्राम-पथरी, तह0-राजिम
2. मे0 विकास टाईल्स, ग्राम+पो0-बासीन, तह0-राजिम

महाप्रबंधक  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,  
गरियाबंद (छ0ग0)